

आकाशीय बिजली बैहर-गढ़ी में 8 घायल, दो गंभीर ; आंधी-बारिश से बचने वॉच टॉवर पर चढ़े थे

आकाशीय बिजली गिरने से 4 की मौत



नवभारत, बैहर। बालाघाट जिले के बैहर और गढ़ी थाना क्षेत्रों में शुक्रवार को मौसम बदलने के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने से चार लोगों की मौत हो गई। अलग-अलग गांवों में हुई इस घटना में आठ अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों में से दो की हालत बेहद गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

पहली बड़ी घटना बैहर थाना क्षेत्र के बिरवा हवाई पट्टी के पास भमोड़ी वन विभाग कैंप में हुई।

यहां बिरवा निवासी सतीश वलके (19) और लक्की मेरावी (18) अपनी बहनों के साथ तालाब की ओर गए थे। वहीं भमोड़ी निवासी झामसिंह ताराम (34) और गुचरी ताराम (50) जंगल में लकड़ी काटने निकले थे।

अचानक तेज आंधी-तूफान और बारिश शुरू होने पर करीब 9 लोग पास ही बने वन विभाग के वॉच टॉवर में छिप गए। सतीश और लक्की टॉवर के सबसे ऊपरी हिस्से में थे। इसी

दौरान टॉवर से सटे एक साल के पेड़ पर जोरदार बिजली कड़कड़ाकर गिरी। हादसे में सबसे ऊपरी हिस्से में मौजूद सतीश वलके और लक्की मेरावी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से झुलसे झामसिंह ताराम ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। भमोड़ी निवासी शालिनी पिता सबजोत वलके (13) भिमोड़ी निवासी देवसिंह पिता कतिवासिंह ताराम (50), अतरिया निवासी महेश पिता

संतलाल तेकाम (35), देवलाल पिता बजारी तेकाम (50), रायसिंग पिता हजारी पंद्र (52) तथा कौशल्या मरावी (70) वर्ष शामिल हैं।

दूसरी घटना गढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत खुर्सीपार के कोमो गांव की है, जहां नुंकाटोला निवासी चंद्रावती पति कैलाश पुसाम (39) की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। इसके अलावा बैहर के ही ग्राम बम्हनी में एक मकान पर बिजली गिरने से दो लोग घायल हो गए, हालांकि उनकी स्थिति ख़तरे से बाहर बताई जा रही है।

हादसे में घायल हुए अन्य लोगों में भमोड़ी निवासी गुचरी ताराम (50) और एक अन्य की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद बैहर अस्पताल से जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। चार अन्य घायलों का इलाज बैहर अस्पताल में ही चल रहा है। बैहर थाना प्रभारी जयंत मर्सकोल्हे ने बताया- डायल 100 पर सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजेकर मर्ग कायम कर लिया गया है।

बैहर एवं बिरसा में नदी-नालों के उफान वाले क्षेत्रों में प्रवेश प्रतिबंधित

एसडीएम ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

नवभारत, बैहर। वर्षा ऋतु के दौरान आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैहर अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री अर्पित गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 26 जून 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 01 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा।

जारी आदेश के अनुसार मौसम विभाग द्वारा आगामी दिनों में लगातार वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इससे बैहर एवं बिरसा तहसील क्षेत्र की नदियों, नालों, बंजर, झरनों तथा तालाबों में जलस्तर बढ़ने और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका है। ऐसी

परिस्थितियों में जनहानि की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं।

आदेश के तहत बैहर एवं बिरसा तहसील क्षेत्र में नदी, नाला, झरना, बंजर और तालाब सहित सभी जलस्रोतों के उफान वाले स्थानों पर आम लोगों के आने-जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। बाढ़ की स्थिति में किसी भी व्यक्ति को ऐसे स्थलों से 100 मीटर की परिधि के भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, जिन पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन अथवा जमीन धंसने की आशंका है, वहां भी 100 मीटर के दायरे में आमजन का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने नदी-नालों एवं अन्य जलस्रोतों में नहाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।

एसडीएम श्री अर्पित गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश

आमजन की सुरक्षा के हित में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से जारी किया गया है। आदेश से प्रभावित कोई भी व्यक्ति धारा 163(5) के तहत सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। विशेष परिस्थितियों में नियमानुसार छूट प्रदान की जा सकेगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत विधिस्मरित कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे वर्षा के दौरान नदी-नालों और अन्य जलधारा वाले क्षेत्रों से दूर रहें तथा प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन कर अपनी एवं दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।



वनरक्षक पद भर्ती प्रक्रिया का पैदल चाल परीक्षण

नवभारत, बालाघाट। मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए वनरक्षक पदों पर सोधी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत वन वृत्त बालाघाट के नोडल कार्यालय दक्षिण सामान्य वनमण्डल, बालाघाट द्वारा भर्ती की निर्धारित कार्यवाही संपन्न की गई। भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 4314 ऑफलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदन पत्रों के परीक्षण के उपरांत पात्र गए गए 175 अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षण, शारीरिक माप एवं पैदल चाल परीक्षा के लिए कॉल लेटर जारी किए गए। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 22 जून 2026 को वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय परिसर, बालाघाट में अभिलेख

महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली भाजपा ने बहनों का छीन लिया रोजगार

क्षेत्र की दर्जनों महिला रसोईयों ने विधायक विवेक पटेल को सौंपा ज्ञापन

नवभारत, वारासिवनी। स्व सहायता समूहों की स्कूलों में कार्यरत रसोईयों को बिना सूचना काम से निकालने का बालाघाट जिला सीईओ अभिषेक सर्राफ द्वारा आदेश जारी किया है। रसोईयों को काम से बंद करवाने को लेकर शुक्रवार को विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों रसोईया विधायक विवेक विक्की पटेल के जनसंपर्क कार्यालय पहुंचीं। जहां उन्होंने विधायक विवेक पटेल से मुलाकात कर काम में बंद होने वाली रसोईयों को वापस स्कूल में कार्य पर रखने की मांग को लेकर विधायक विवेक पटेल को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान ज्योतिकला पटेल, राजेश्वरी बोपचे, माधुरी अवधिया, जसवंता पटेल, महमूद मिसा अली, जुलेखा खान, पूर्णिमा सोनवाने, आवेदा बी, पुष्पा भोयर, नीला शेन्दे, कला कुजाम, श्यामवती पजराहे, माधुरी वघाड़े, कमलाबाई राहंगडाले, बारुला बाई परते, नीलावती भेरम, खेलनबाई नागोसे, श्यामा देशमुख सहित दर्जनों महिलाएं मौजूद रहीं।

माध्यमिक शाला का संचालन करने वाली समूह की सचिव



शोभा पटेल ने बताया कि माध्यमिक शाला में कार्यरत रसोईयों को काम से बंद करने का नोटिस जारी हुआ है। जहां कार्यरत हैं, वहां से एक-एक रसोईयों को बंद कर रहे हैं। जब बंद हो करनी है तो सभी जगहों से सभी रसोईयों को बंद करे। किसी एक को बंद करके उसका रोजगार छीना जा रहा है। बंद करने का कारण बच्चों की संख्या कम होना बता रहे हैं। और नोटिस भी हमे लिखती में नहीं मिला है। मोबाइल के माध्यम से वाट्सएप में स्कूल के प्रधान पाठक के पास भेजा जा रहा है। हमने जब प्रधान पाठक से पूछे तो वे कहते हैं कि जिला सीईओ द्वारा नोटिस भेजा गया है। जिन रसोईयों को बंद किया गया है। अगर उन्हें वापस नहीं लिया जाता तो वर्तमान में जो रसोईया कार्यरत हैं। कोई भी स्कूल में खाना बनाने नहीं जायेगा।

बच्चों की कम संख्या का बहाना बताकर बेवजह निकाला

जा रहा समूह की महिलाओं को-विवेक पटेल

विधायक विवेक पटेल ने कहा कि हमारी माता बहने मेहनत करके स्कूलों में समूह के माध्यम से भोजन बनाने का कार्य करती है। महिलाओ ने बताया कि बच्चों की कम संख्या का बहाना बताकर उन्हें बिना नोटिस मिले ही निकाला जा रहा है। भाजपा महिलाओं के सम्मान की बात करती है।

ये सिर्फ उनके भाषणों में ही दिखाई देता है। धराजाल पर महिलाओ से रोजगार छीना जा रहा है। गरीब घरों की महिलाएं दो पैसे कमाने अपने बच्चों का भरण पोषण और उन्हें अच्छी शिक्षा मिले इसलिए वे स्कूलों में खाना बनाने जाती हैं। अगर शासन ने अब उनका रोजगार ही खत्म कर दिया है। मैने अधिकारियों से चर्चा की है। समूह की महिलाओं को बेवजह ना निकाले। इन्हें पुनः काम में रखा जाए।

भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिला कार्यकारिणी घोषित

भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कांवर ने दी संगठन समर्पण की शुभकामनाएं

नवभारत, बालाघाट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल की अनुमति तथा अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भगवान परमार, भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं संभाग प्रभारी डॉ. सुमेर सिंह मोर्चा की जिला प्रभारी अभिलाष मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष बालाघाट रामकिशोर 'नानो' कांवर की अनुमति से भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष सिद्धांत पाटिल ने भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों की घोषणा की है। इनमें उपाध्यक्ष- संजय जैसवाल, अच्युत वैद्य, लालदास बारेकर, भारत चौधरी, अनमोल रामटेके, महामंत्री- श्रीमती वैशाली

गजभिये, हर्षित रेड्डी, मंत्री- डां संतोष खरोले, दिलीप बेलवंशी, कमलेश सूर्यवंशी, विनोद पंचभाये, डां दीपक चौधरी, कोषाध्यक्ष, रजत डोंगरे, सह कोषाध्यक्ष विनेश डोंगरे, कार्यालय मंत्री कृष्णा मेश्राम, सह कार्यालय मंत्री नितिन सेन्हे, मीडिया प्रभारी पवन वैद्य, सह मीडिया प्रभारी शैलेश घाड़े, सोशल मीडिया प्रभारी नागसेन वैद्य सह सोशल मीडिया प्रभारी श्रीमती श्यामकली नाग, आईटी प्रभारी सिद्धार्थ खोत्रागड़े, सहआईटी प्रभारी विनय गजभिये, मन की बात प्रमुख रंजीश गौरे, मन की बात सह प्रमुख संत वासनिक, सामाजिक संपर्क प्रमुख भोजलाल श्रीनाग, सामाजिक संपर्क सहप्रमुख श्रीमती मंजू बोरकर, लाभार्थी प्रमुख नंदकिशोर भालाधरे, जिला कार्यकारिणी सदस्य- रामरत्न

व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पूर्ववत सुचारु रूप से जारी

बालाघाट। जिले में व्यावसायिक (कमर्शियल) गैस सिलेंडरों की आपूर्ति अब पूर्ववत एवं सुचारु रूप से जारी रहेगी। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री संत कुमार भलावी ने बताया कि 25 जून 2026 को मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के उपयोग एवं आपूर्ति के संबंध में पूर्व में जारी आदेश को विलोपित (निरस्त) कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आदेश निरस्त होने के बाद जिले की सभी अधिकृत गैस एजेंसियां नियमानुसार व्यावसायिक उपभोक्ताओं को कमर्शियल गैस सिलेंडरों का वितरण पूर्व की भांति करती रहेंगी। इससे होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री भलावी ने जिले के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य कमर्शियल गैस उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे केवल अधिकृत गैस एजेंसियों से ही गैस सिलेंडर प्राप्त करें।

सबका साथ लेकर क्षेत्र का विकास करूंगी : खुशबू



नवभारत, खैरलौजी। जनपद पंचायत खैरलौजी परिसर में गुरुवार 25 जून को नवनिर्वाचित कार्यवाहक जनपद अध्यक्ष खुशबू गिरीश बिसेन का शपथ ग्रहण समारोह परिमलमय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, जनपद सदस्यों, सरपंचों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति रही। सांसद भारती पारधी ने खुशबू बिसेन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर कटंगी विधायक गौरव सिंह पारधी एवं पूर्व

कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में जनपद पंचायत उपाध्यक्ष दुर्गाप्रसाद लिलहारे, जिला पंचायत सदस्य सुनीता बहेटवार एवं प्रकाश उके, खैरलौजी सरपंच ज्योति नागपुरे, खैरलौजी जनपद के सरपंच संघ अध्यक्ष पुष्पेन्द्र देशमुख, पूर्व जनपद अध्यक्ष राकेश बनोट, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष गिरीश बिसेन, भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेन्द्र शुक्ला एवं ज्ञानेश रहगडाले, जिला संयोजक आईटी विभाग पलाश बिसेन, मानसिंह बहेटवार, जनपद सदस्य

द्रोन डोहरे, सभापति ललित ठाकुर, जनपद सदस्य दिनेश दमाहे, निरंजन बिसेन, डिलेश बिसेन, शैलेश सेठी, सरपंच नरेन्द्र ठाकरे सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं समाजसेवी उपस्थित रहे। ज्ञात हो कि कार्यवाहक अध्यक्ष का चुनाव पूर्व जनपद अध्यक्ष आशु गुपीराम बबले के निर्वाचन निरस्त होने के बाद कराया गया। न्यायालय ने महाराष्ट्र के जाति प्रमाण-पत्र से जुड़े मामले में उन्हें जनपद सदस्य एवं अध्यक्ष

पद के लिए अयोग्य घोषित करते हुए दोनों निर्वाचन भूखर दिर धे थे। जनपद पंचायत में कुल 24 सदस्य हैं, लेकिन एक सदस्य का निर्वाचन भी न्यायालय द्वारा निरस्त होने से 23 सदस्य हैं। मतदान किया। राजनीतिक समीकरणों के अनुसार कांग्रेस समर्थित लगभग 15 और भाजपा समर्थित 8 सदस्य माने जा रहे थे, जिससे कांग्रेस की जीत लाभग्राह्य तय मानी जा रही थी। लेकिन मतदान परिणाम ने सभी को चौंका दिया।

खुशबू बिसेन अकेली अध्यक्ष नहीं, आप सभी अध्यक्ष हैं : सांसद

सांसद भारती पारधी ने अपने संबोधन में कहा कि जनपद अध्यक्ष का दायित्व केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे जनपद के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों की सांघिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि खुशबू बिसेन अकेली अध्यक्ष नहीं है, बल्कि जनपद के सभी सदस्य इस जिम्मेदारी में बराबर के भागीदार हैं। यदि जनपद में अच्छे कार्य होंगे तो उसका श्रेय सभी को मिलेगा और यदि कहीं कमी रह जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी भी सभी पर समान रूप से आएगी। उन्होंने सभी जनपद सदस्यों और सरपंचों से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनपद अध्यक्ष के साथ एक अनुभवी उपाध्यक्ष भी मौजूद हैं, जिनके अनुभव का लाभ पूरे जनपद को मिलेगा। केंद्र और प्रदेश दोनों स्थानों पर सरकार होने का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है।

ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर नवविवाहिता ने खाया जहर

नवभारत, जबलपुर। खिलौला थाना अंतर्गत ग्राम अमगवां में एक नवविवाहिता ने ससुराल वालों की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर खेत में डालने वाली जहरीली दवा का सेवन कर लिया। गंभीर हालत में महिला को सिहोरा के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने पति, सास, ससुर और देवर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, ग्राम भीटा खुर्द थाना सिहोरा निवासी हेमंत पटेल (27) ने खिलौला थाने में शिकायत दर्ज कि उसकी 26 वर्षीय बहन हेमलता पटेल का विवाह अमगवां निवासी अजीत पटेल से हुआ था। हेमलता ने उसे फोन पर बताया कि उसने जहरीली दवा खा ली है।

अवैध शराब के अड्डों पर छापा, 6 हजार किलो महुआ लाहन किया नष्ट

नदी में छिपाया, जंगल में बोरियों में भरा था लाहन

नवभारत कटंगी। कलेक्टर मृणाल मोघा के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। वृत्त कटंगी की टीम ने ग्राम गोरघाट के जंगल और नदी किनारे दबिबश देकर लगभग 6 हजार किलोग्राम महुआ लाहन जन्त किया। आवश्यक नमूने लेने के बाद मौके पर ही पूरा लाहन नष्ट कर दिया गया।

जिला आबकारी अधिकारी अजीत एक्का के मार्गदर्शन में हुई कार्रवाई में आबकारी दल ने गोरघाट के नदी किनारे पानी के अंदर छिपाकर रखा गया महुआ लाहन बरामद किया। साथ ही जंगल क्षेत्र में अलग-अलग जगह



प्लास्टिक की बोरियों में भरा भारी मात्रा में लाहन मिला जिसमें जन्त सामग्री की अनुमानित कीमत 6 लाख रुपये आंकी गई है।

2 प्रकरण दर्ज, जांच शुरू

कार्रवाई के दौरान मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत 2

प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिए गए हैं।

वृत्त प्रभारी एवं उपनिरीक्षक संदीप श्रीवास, मुख्य आरक्षक

द्वारसिंह उइके सहित आबकारी विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की।

अभियान जारी रहेगा

जिला आबकारी अधिकारी अजीत एक्का ने बताया, अवैध मदिरा निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध विभाग की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। अवैध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए अवैध मदिरा कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

कलेक्टर मृणाल मोघा के निर्देश पर जिले में अवैध शराब के अड्डों पर लगातार दबिबश दी जा रही है। नदी-नालों और जंगलों में छिपाकर बनाए जा रहे महुआ लाहन को चिन्हित कर नष्ट करने का अभियान तेज कर दिया गया है।